न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./198/2025/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. पूनमाराम पुत्र भोमाराम 2. दलाराम पुत्र भोमाराम, जाति जाट, निवासी पूंजावेरी, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।	1. खेताराम पुत्र जगमालराम फौत के का. मु.– 1/1. नरीगाराम पुत्र खेताराम 1/2. डूंगराराम पुत्र खेताराम 1/3. जीयाराम पुत्र खेताराम 1/4. अरजनराम पुत्र खेताराम 1/5. जोधीदेवी पुत्री खेताराम 2. मालाराम पुत्र जगमाल के का. मु.– 2/1. हेमाराम पुत्र मालाराम 2/2. हीराराम पुत्र मालाराम 2/3. भीखाराम पुत्र मालाराम 2/4. चम्पादेवी पत्नी मालाराम 2/5. लेहरो देवी पुत्री मालाराम पत्नी हेतराम 2/6. कमलादेवी पुत्री मालाराम 2/7. पेमी देवी पुत्री मालाराम 3. भैराराम पुत्र ईशराराम 4. शांतिदेवी पुत्री ईसराराम पत्नी देराजराम 5. लालाराम पुत्र भोमाराम के का. मु.– 5/1. बगताराम पुत्र लालाराम 5/2. हरीराम पुत्र लालाराम 5/3. मगाराम पुत्र लालाराम 5/4. हरखूदेवी पत्नी लालाराम, जाति जाट, निवासी पूंजाबेरी, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर। 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गुड़ामालानी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 263/2020 बउनवान लाला वगैरह बनाम खेताराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2025 के विरूद्ध पेश हुई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपस्थितिः–

1. वकील श्री मदनलाल अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांकः—26.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा पूंजाबेरी, तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 34, 143, 147, 133, 146, 37, 145, 35 व 36 कुल रकबा 362 बीघा 02 बिस्वा व मौजा हेराज का गोल में खसरा संख्या 37, 90 व 89 कुल रकबा 256.16 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। वकील अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा अंतिम बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा पूंजाबेरी, तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 34, 143, 147, 133, 146, 37, 145, 35 व 36 कुल रकबा 362 बीघा 02 बिस्वा व मौजा हेराज का गोल में खसरा संख्या 37, 90 व 89 कुल रकबा 256.16 बीघा भूमि आई हुई है। जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 का एक ही संयुक्त परिवार है। उक्त संयुक्त परिवार का एक ही पुरूष पूर्वज लिछमणा है। वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की हस्तगत वादग्रस्त भूमि लिछमणा की पैतृक कृषि आराजी है। पूर्वज लिछमणा का देहान्त बंदोबस्त प्रक्रिया से पूर्व ही संवत 1990 में हो चुका था। लिछमणा के फौत होने पर विरासत में उसके तीनों पुत्रों जगमाल, किशना व भोमा को प्राप्त हुई। बंदोबस्त के समय संवत 2011—12 में जगमाल व भोमा पिसरान लिछमणा का संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता खानदान जगमाल था। उक्त मौखिक विभाजन के पश्चात किशना का अलग खाता बनने के बाद शेष 2/3 भूमि पर जगमाल व भोमा संयुक्त रूप से बराबर—बराबर रकबे पर काबिज काश्त रहे। इसी अनुसार बंदोबस्त संवत 2011—12 में खसरा संख्या 37/154 बीघा मौजा हेराज का गोल में जगमाल व भोमा का बहिस्सा बराबर पर्चा लगान जारी किया गया। परन्तु मौजा पूंजाबेरी में जगमाल व भोमा की संयुक्त आराजी में से खसरा संख्या 133/34.01 बीघा, 146/120.11 बीघा भूमि गलत

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तरीके से भोमा पुत्र लिछमणा का नाम हटाकर केवल जगमाल पुत्र लिछमणा की खातेदारी में दर्ज कर दी। इसी प्रकार खसरा संख्या 34/28.07 बीघा, 143/13.14 बीघा, 147/44.13 बीघा कुल 86.14 बीघा भूमि की भोमा पुत्र लिछमणा की खातेदारी में बंदोबस्त के कर्मचारियों के साथ मिलकर जगमाल द्वारा गलत रूप से दर्ज करवा दी। जगमाल व भोमा की उक्त संयुक्त आराजी रकबा 241.06 बीघा भूमि में से 120.13 बीघा भूमि भोमा पुत्र लिछमणा के हिस्से में आती है। भोमा पुत्र लिछमणा इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। परन्तु जगमाल ने बंदोबस्त कर्मचारियों के साथ मिलकर कुल 86.14 बीघा भूमि भोमा के नाम दर्ज करवाई। इस प्रकार भोमा को करीब 34 बीघा भूमि कम दर्ज करवाई तथा जगमाल ने अपने नाम अधिक भूमि दर्ज करवाई। वर्तमान में जगमाल व भोमा का देहान्त हो चुका है। जगमाल व भोमा का संयुक्त हिन्दू परिवार का विघटन हो चुका है। वर्तमान में जगमाल व भोमा के विधिक वारिस मौके पर काबिज–काश्त हैं। इस प्रकार मुतनाजा आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन दुरूस्त किया जाकर संयुक्त खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध आदेशिका दिनांक 14.03.2024 अनुसार एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के पेज संख्या 2 पर प्रतिवादीगण एकतरफा अंकित किया गया है। किन्तु दूसरी तरफ से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा पेश करने के तथ्यों का अंकन किया है जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। उक्त विरोधाभास तथ्यों अनुसार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट को बिना सुनवाई सबूत का अवसर दिये बाले–बाले ही पारित की गई। जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण एवं मिलावट युक्त आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांटस को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार तनकीयात कायम करते हुए विधि संगत निर्णय पारित किया गया है। जिससे अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार प्रतीत नहीं होता है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिसमें प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज क़रने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 263/2020 बउनवान लाला वगैरह बनाम खेताराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2025 को यथावत रखा जाता है।

26/9/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/9/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर